

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

अर्चना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
03/22	88,89,188 RTA	बलशरपुर	दंडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
द्रोपती बाई	बनाम	रामकिशन वगै

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
01/12/22	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/2/22 को पेश हो।	
8/2/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गणों के वाद तालील समान प्रस्त। प्रतिवादीगण 1 ता 6 को कोर से श्री रामकिशन वगै के एडवो. का कबालत मार्ग पेश हुआ जो शांति किं० किया गया। करते जबक पत्रावली दिनांक 9/3/22 को पेश हो।	
9/3/22	पत्रावली पेश हुई। कुल्लुए बरिबेन उपस्थित। वकील प्रतिवादी को कोर से जबक पेश नहीं हुआ है समान चाहा है करते जबक पत्रावली दिनांक 11/4/22 को पेश हो।	
11/4/22	आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.1.5/22 को पेश हो। प्रतिवादी 1 ता 6 को कोर से D.C. कुशकई एडवो. का कबालत मार्ग पेश। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला,	

पत्रावली पत्र इसी वकील को उक्त कार्य नहीं उप. नहीं
 है सारा कार्य है पत्रावली को कार्य करी दिनांक
 3.3.25 को पत्र है

✍

3.3.25

पत्रावली पत्र इसी वकील को व सारा कार्य उप.
 नहीं है वकील को व सारा कार्य को वीर का
 आवाज लगाना गरी कार्य प्रमाण के - वारा
 के उप. नहीं है कर। को का काइ कर
 बाजरी कर प्रेरी के कोइक स्थिति का है
 पत्रावली केवल सुमाए सेका का नामीय वकील
 के वाइलिय इपयल है

✍